पत्रांक– 11 न0वि0 अभि0 (को0) 330/2017 1185 न0वि0 एवं आ0वि0

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

अधीक्षण अभियंता,
बिहार शहरी विकास अभिकरण,
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार, पटना।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
नगर निगम, गया।

कार्यपालक अभियंता,
जिला शहरी विकास अभिकरण,
गया।

पटना, दिनांक– 20/09/17

विषयः– ई–टेंडरिंग पद्धति द्वारा HRIDAY योजनान्तर्गत पुनर्निविदा आमंत्रण सूचना सं0–07/2017–18 के ग्रुप सं0–01 के कार्य अक्षयवट मंदिर परिसर का विकास कार्य के कार्य आवंटन के संबंध में

प्रसंगः– नगर निगम, गया का पत्रांक–2261 दिनांक–09.09.2017 एवं कार्यपालक अभियंता, डुडा–सह– नगर निगम, गया का पत्रांक–424 दिनांक– 20.09.2017 तथा इस कार्यालय का पत्रांक–1184 दिनांक–20.09.2017

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा ई–टेन्डरिंग पद्धति द्वारा HRIDAY योजनान्तर्गत पुनर्निविदा आमंत्रण सूचना सं0–07/2017–18 के ग्रुप सं0–01 के कार्य अक्षयवट मंदिर परिसर का विकास कार्य हेतु तकनीकी बीड में सफल 02 निविदाकार (1) श्री सत्येन्द्र कुमार यादव एवं (2) श्री सुनील कुमार में से न्यूनतम दर देने वाले निविदाकार **श्री सुनील कुमार, कुम्हार टोली, मानपुर, गया** को उक्त कार्य उनके द्वारा उद्धृत दर परिमाण विपत्र की राशि **1,19,58,177/–(एक करोड़ उन्नीस लाख अंठावन हजार एक सौ सतहत्तर)** रूपये मात्र से **3.15% कम दर** पर जिसकी कुल राशि **1,15,81,494/–(एक करोड़ पन्द्रह लाख इकासी हजार चार सौ चौरानवे)** रूपये मात्र पर कार्य आवंटित किया जाता है।

कार्य आवंटन एवं एकरारनामा के पूर्व सभी कागजातों से संतुष्ट होने के उपरान्त एकरारनामा करेंगे। गया नगर निगम, गया/कार्यपालक अभियंता, डुडा, गया सभी कागजातों का सत्यापन कर एवं असाधारण उद्धृत दर के लिए यथोचित Additional Performance Guarantee लेकर एकरारनामा करेंगे।

निम्न निदेशो को पालन करते हुए एकरारनामा करेंगे।

1. कार्य समाप्ति की अवधि 06 (छ) माह होगी।
2. कार्य पर होने वाले व्यय को वित्तीय एवं तकनीकी अनुमोदन के अधीन सीमित रखा जाय।
3. एकरारनामा हेतु पूर्ण रूपेण जाँचोपरान्त परिमाण विपत्र के अवयवों को शुद्ध एवं वैध स्वरूप प्रयुक्त किया जाय।

4. **कार्य का** एकरारनामा 07 (सात) दिनों के अन्दर सम्पन्न कराकर कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

5. अगर निविदा में अंकगणितीय गणना में कोई त्रुटि रह गई तो इसकी सूचना निश्चित । से दिया जाय एवं निविदा का कार्यान्वयन तब तक नहीं किया जाय जब तक कि इस स्तर से समुचित निदेश प्राप्त नहीं हो जाय।

6. कार्य का सम्पादन तकनीकी स्वीकृति में दिये गये टीका–टिप्पणी के अनुरूप विशिष्टियों के अनुसार ही कराया जाय।

7. कार्य को निर्धारित समय–सीमा के अन्तर्गत सम्पादित कराना सुनिश्चित कराया जाय। परिमाण विपत्र में अंकित मात्राओं को कार्यस्थल पर पुस्तिका में अंकित कर दिया जाय एवं तद्नुसार ही कार्य कराए जाय। इसके लिए संवेदक से कार्य योजना प्राप्त कर उसकी एक प्रति इस कार्यालय को उपलबध करायी जाय।

8. कार्य आरम्भ करने के पूर्व प्री लेवेल अवश्य करा लेगें, ताकि कार्य पूर्ण होने पर कृत कार्य की मात्रा कि गणना सही ढ़ग से की जा सके।

9. कार्य के दौरान व्यवहार में आनेवाले सामग्रियों यथा ईट, बालू, चिप्स, मेटल आदि की गुणवत्ता की जाँच व्यवहार में लाने के पूर्व करा लेंगे।

10. कार्य में लगने वाले निर्माण सामाग्रियों का ढुलाई दर वास्तविक दूरी के आधार पर देय होगा।

11. भवन में लगने वाले लौह छड़ (Reinforcement), Tata/SAIL/Ispaat Nigam/Vizaag Steel Make का होना चाहिए।

12. PCC/RCC कार्य की योजना में कार्य के दौरान Cube का Mould cast के बाद Crushing strength का Test अवश्य करा लेंगे।

13. कार्य आरंभ करने के पहले मिट्टी की भार वाहन क्षमता हेतु मिट्टी की जाँच करा लेंगे तथा मिट्टी भार वहन क्षमता के ज्ञात होने के उपरान्त नींव के निरूपण नक्शे में अंकित भार वहन क्षमता के साथ मिलान कर लेंगे, अन्तर पाये जाने पर इस कार्यालय को सूचित करेंगे।

14. कार्य स्थल पर योजना संबंधी सूचना पट्ट लगाना आवश्यक हो, जो लोहे के Angle पर PCC से जाम हो।

15. आप से प्राप्त तुलनात्मक विवरणी में अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु लौटाई जाती है।

16. प्रस्तावित भवन का प्लींथ स्थलानुसार निर्धारण करेंगे, यदि प्राक्कलन में निर्धारित प्लींथ लेवल में फेरबदल होती है तो निश्चित रूप से इस कार्यालय को सूचित करेंगे।

<u>अनु0:–</u> तुलनात्मक विवरणी एवं सभी
निविदा अभिलेख मूल में।

विश्वासभाजन
20.09.17
अधीक्षण अभियंता
बिहार शहरी विकास अभिकरण
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार, पटना।